


21/02/2025

पत्रावली फेडा हुई। अनु- 34। बहस पत्रावली-पत्र
 136 LR Act के तहत चुनी गई। पत्रा
 धारा पत्रानु हस्तावेधान का अवलोकन
 किया गया। बहस पर मन्न किया तो पाया
 कि पत्रा का नाम पत्रावली पर उपलब्ध
 हस्तावेधान में रमेश-चंद्र ही है। तथा
 पत्नारी हल्का एवं तहसीलदार-द्वारा की
 रिपोर्ट के मुताबिक महेडा-चंद्र पुत्र राम-
 स्वरूप का कोई व्यक्ति नहीं है। महेडा-चंद्र
 का सही नाम रमेश-चंद्र पुत्र रामस्वरूप
 धारि खाली निवासी ऐंपरा सही है।
 अतः पत्रा का नाम अराजक रिपोर्ट में
 महेडा-चंद्र के स्थान पर रमेश-चंद्र किया
 जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रा का पत्रावली-पत्र अन्तर्गत
 धारा 136 एल आर  के तहत

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड बनाया
संवत् 2074-2077 में महेश चन्द पुत्र
रामचन्द्र के स्थान पर रमेश चन्द पुत्र
रामचन्द्र को किये जाने के अतिरिक्त
पुत्र किये जाते हैं तदनुसार नदबीलडा
नदबी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
किया जावे।

पत्रिका कुल शुमार होकर
नम्बर के क्रम की जाकर साखिल
दफ्त (नदबी)

उपखण्ड जं. गरी
नदबी (भरतपुर)

प्राप्त नदबी प्राप्त नदबी। इन्हें इन्हें नदबी
नदबी। इन्हें नदबी नदबी।
नदबी इन्हें नदबी नदबी।